

## घोषणा पत्र

(गृह कस्बे के लिए मुफ्त यात्रा भत्ता हेतु)

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ बोर्ड पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_

निम्नलिखित घोषणा करती हूँ:-

1. मैं \_\_\_\_\_ का/की स्थाई निवासी हूँ तथा अस्थायी तौर पर \_\_\_\_\_ रहती/रहता हूँ। मैंने दिनांक \_\_\_\_\_ से दिनांक \_\_\_\_\_ तक अपने पैतृक घर जाने के लिए परिवार के \_\_\_\_\_ सदस्यों सहित यात्रा की है तथा कुल \_\_\_\_\_ /- रुपये यात्रा पर खर्च हुए हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	टिकट नं० व राशि	बस/ट्रेन	कहाँ से कहाँ तक	तिथि

2. मैंने पिछले एक वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा लाभ प्राप्ति के एक वर्ष बाद ही इस योजना के लिए आवेदन करूंगा/करूंगी।
3. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यो से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड हैं।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई मुफ्त यात्रा भत्ता के लिए वित्तीय सहायता राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगी/ रहूँगा तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं०: \_\_\_\_\_